IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)
बिहार शोध समागम
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 1, January-March, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

# गांधी के ग्राम स्वराज में महिलाओं की भूमिका : पंचायती राज की आलोचनात्मक यात्रा और सशक्तिकरण की समग्र चुनौतियां

**डॉ. संदीप कुमार (एम. ए, राजनीति विज्ञान)**
**पटना विश्वविद्यालय, (पी. एच. डी. राजनीति विज्ञान)**
**पटना विश्वविद्यालय, पटना**

**सारांश**

महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना एक ऐसे भारत की कल्पना करता था, जहां गांव स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हों, और हर व्यक्ति खासकर महिलाएं समाज की रीढ़ बनें। गांधीजी महिलाओं को अहिंसा, त्याग और नैतिक शक्ति की प्रतीक मानते थे। वे कहते थे कि महिलाओं की मुक्ति के बिना सच्चा स्वराज अधूरा है। उन्होंने महिलाओं को घर की मालकिन बनने, चरखा चलाने और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनके अनुसार महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक धैर्य और सहनशक्ति रखती हैं। लेकिन उनकी दृष्टि में महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से पारंपरिक गुणों जैसे सेवा, संयम और मातृत्व से जुड़ी थी, न कि आधुनिक समानता की पूरी लड़ाई से। स्वतंत्र भारत में गांधीजी के इस सपने को साकार करने की कोशिश 73वें संविधान संशोधन (1992) से हुई, जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक—तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया। आज, 2025 में, यह आरक्षण कई राज्यों में 50% तक बढ़ चुका है, और लगभग 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, कुल प्रतिनिधियों का करीब 46%। यह आंकड़ा दुनिया में बेजोड़ है। इन महिलाओं ने गांवों में स्वच्छता, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर असली बदलाव लाए हैं। कई गांवों में महिला सरपंचों के नेतृत्व में सड़कें बनीं, स्कूल बेहतर हुए और गरीब महिलाओं की आवाज मजबूत हुई। यह देखकर लगता है कि गांधीजी का सपना कुछ हद तक हकीकत बन रहा है, महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं संभाल रही हैं, बल्कि गांव की दिशा तय कर रही हैं। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं रही। वास्तविक सशक्तिकरण अभी दूर है। सबसे बड़ी चुनौती है ''सरपंच पति'' या प्रॉक्सी भागीदारी की प्रथा, जहां पति या पुरुष रिश्तेदार असल फैसले लेते हैं, और महिला सिर्फ नाम की सरपंच रह जाती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में यह आम है, पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा की कमी और सामाजिक दबाव महिलाओं को पीछे रखते हैं। कम मानदेय, प्रशिक्षण की कमी और आरक्षण की रोटेशन प्रणाली भी बाधा बनती हैं। दलित या आदिवासी महिलाएं तो दोहरा भेदभाव झेलती हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि प्रॉक्सी को रोकने के लिए सख्त सजाएं और जागरूकता अभियान जरूरी हैं। यह पेपर गांधीजी के विचारों से शुरू होकर पंचायती राज की इस आलोचनात्मक यात्रा का विश्लेषण करता है। यह दिखाता है कि आरक्षण ने महिलाओं को मंच तो दिया, लेकिन सच्चा सशक्तिकरण तभी होगा जब वे खुद फैसले लें, अपनी आवाज उठाएं और गांव की असली नेता बनें। गांधीजी का ग्राम स्वराज महिलाओं के बिना अधूरा है, आज हमें उनकी नैतिक शक्ति को आधुनिक समानता के साथ जोड़ना होगा, ताकि हर गांव की महिला न सिर्फ भागीदार बने, बल्कि नेतृत्व करे। यह यात्रा जारी है, और इसमें उम्मीद की किरणें साफ दिख रही हैं, लाखों महिलाएं अब गांवों को बदल रही हैं, और आने वाला समय उनका होगा।

**मुख्य शब्द :** नैतिक, आधारशिला, स्वराज, स्वावलंबन, स्वराज, पितृसत्तात्मक।

## परिचय

महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का दर्शन भारत की लोकतांत्रिक संरचना की आधारशिला रहा है। उन्होंने गांव को राष्ट्र की आत्मा माना और विकेंद्रीकृत शासन की कल्पना की, जहां प्रत्येक गांव एक स्वावलंबी गणराज्य हो, और निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित हो। गांधीजी के लिए सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मुक्ति था।[1] इस संदर्भ में महिलाओं की भूमिका को उन्होंने विशेष महत्व दिया। वे मानते थे कि महिलाएं समाज की नैतिक शक्ति हैं, अहिंसा, त्याग और सहनशक्ति की प्रतीक। गांधीजी ने कहा था कि महिलाओं की मुक्ति के बिना स्वराज अधूरा है। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया, जैसे नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में, जहां सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और हजारों आम महिलाएं आगे आईं। हालांकि, उनकी दृष्टि में महिलाओं का सशक्तिकरण मुख्यतः पारंपरिक गुणों मातृत्व, सेवा और संयम से जुड़ा था। वे महिलाओं को पुरुषों की पूरक मानते थे, न कि पूर्ण लैंगिक समानता की आधुनिक अवधारणा से। चरखा और खादी को उन्होंने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का माध्यम बनाया, ताकि वे घर की मालकिन बनें और गांव की अर्थव्यवस्था में योगदान दें।

स्वतंत्र भारत में गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को संस्थागत रूप देने का प्रयास पंचायती राज व्यवस्था से हुआ। प्राचीन

1. महीपाल, पंचायती राज चुनौतियां एवं संभवानाएं, नेस्नल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 45—46

भारत में ग्राम सभाएं और पंचायतें विवाद निपटारा और सामुदायिक निर्णय लेती थीं, जिसे गांधीजी ने आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित किया। स्वतंत्रता के बाद बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने तीन–स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जिसका उद्घाटन 1959 में राजस्थान के नागौर में हुआ। लेकिन वास्तविक संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) से मिला, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की तीन–स्तरीय संरचना को मान्यता देता है। इस अधिनियम की सबसे क्रांतिकारी विशेषता महिलाओं के लिए कम से कम एक–तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण था, जो बाद में कई राज्यों में 50% तक बढ़ाया गया। वर्तमान में (2025 तक), पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (Elected Women Representatives & EWRs) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है, विश्व में यह सर्वाधिक है। 21 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर चुके हैं। इससे ग्रामीण शासन में महिलाओं की भागीदारी न केवल संख्यात्मक रूप से बढ़ी है, बल्कि नीतिगत प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया है। अध्ययनों से पता चलता है कि महिला नेतृत्व वाले पंचायतों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों पर अधिक निवेश होता है।

तथापि, यह यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है। आरक्षण ने महिलाओं को मंच प्रदान किया, लेकिन पितृसत्तात्मक संरचनाएं, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व और क्षमता की कमी जैसी बाधाएं वास्तविक सशक्तिकरण को सीमित करती हैं।[2] यह पेपर गांधीजी के ग्राम स्वराज में महिलाओं की कल्पना से शुरू होकर पंचायती राज की ऐतिहासिक और आलोचनात्मक यात्रा का विश्लेषण करता है, तथा सशक्तिकरण की समग्र चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह जांच करता है कि गांधीजी का सर्वोदय का सिद्धांत आज की वास्तविकताओं में कितना प्रासंगिक है, और सच्ची लैंगिक समानता के लिए क्या सुधार आवश्यक हैं।

## गांधी के ग्राम स्वराज में महिलाओं की भूमिका

गांधीजी का ग्राम स्वराज विकेंद्रीकरण, स्वावलंबन और सर्वोदय पर आधारित था। वे मानते थे कि गांव भारत की आत्मा हैं और पंचायती राज सच्ची लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। महिलाओं के संदर्भ में :–

- गांधीजी ने महिलाओं को घर की मालकिन माना और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के लिए चरखा तथा खादी को प्रोत्साहित किया।
- वे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों के विरोधी थे, क्योंकि ये महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं।
- महिलाओं की भागीदारी को उन्होंने स्वराज की कुंजी माना, क्योंकि महिलाएं अहिंसा और नैतिकता की प्रतीक हैं। हालांकि, गांधीजी के विचार आधुनिक नारीवाद से भिन्न थे। वे महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं, बल्कि उनके पूरक मानते थे। उनकी दृष्टि में महिलाओं का सशक्तिकरण पारंपरिक भूमिकाओं के माध्यम से होता, न कि पूर्ण लैंगिक समानता से।

## पंचायती राज की ऐतिहासिक यात्रा

### प्राचीन काल से स्वतंत्रता तक वर्तमान

भारतीय उपमहाद्वीप में ग्राम स्तर पर स्वशासन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जो वैदिक काल (लगभग 1700 ईसा पूर्व) से ही विद्यमान रही। ऋग्वेद में सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक सभाओं का उल्लेख मिलता है, जहां ग्रामवासी सामुदायिक निर्णय लेते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का स्पष्ट वर्णन है, जहां पांच सदस्यीय पंचायतें विवाद निपटारा, कर संग्रह और सामुदायिक कार्यों का प्रबंधन करती थीं।[3] प्राचीन भारत में गांवों को "लिटिल रिपब्लिक" कहा जाता था, जहां पंचायतें न्यायिक, प्रशासनिक और सामाजिक भूमिका निभाती थीं। मौर्य, गुप्त और चोल काल में भी यह व्यवस्था फली–फूली, जहां ग्राम सभाएं स्वायत्त थीं और राजकीय हस्तक्षेप न्यूनतम था। मध्यकाल में मुगल शासन के दौरान पंचायतें मुख्यतः जाति–आधारित या सामुदायिक हो गईं, लेकिन ग्राम स्तर पर विवाद समाधान और कर वसूली में सक्रिय रहीं। ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था कमजोर हुई। लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया, लेकिन पंचायतों को औपचारिक रूप नहीं मिला। ब्रिटिशों ने गांवों को कर संग्रह की इकाई बनाया, जिससे पारंपरिक स्वायत्तता क्षीण हुई। फिर भी, कई क्षेत्रों में खाप पंचायतें या जाति पंचायतें जारी रहीं, हालांकि ये असमानता और रूढ़ियों से ग्रस्त थीं। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज को केंद्रीय स्थान दिया। उन्होंने गांव को भारत की आत्मा माना और पंचायती राज को सच्चे स्वराज का आधार बताया। गांधीजी की दृष्टि में प्रत्येक गांव एक स्वावलंबी गणराज्य होना चाहिए, जहां पंचायतें निर्णय लेती हों। यह विचार कांग्रेस के कराची अधिवेशन (1931) में प्रतिबिंबित हुआ। गांधीजी के विपरीत, डॉ. बी.आर. अंबेडकर गांवों को रूढ़िवाद और जाति उत्पीड़न का केंद्र मानते थे, इसलिए वे विकेंद्रीकरण के पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा में इस द्वंद्व के कारण पंचायती राज को केवल नीति–निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 40) में शामिल किया गया, न कि मूल अधिकारों में।

इस प्रकार, प्राचीन काल से स्वतंत्रता तक पंचायती राज की यात्रा स्वायत्तता से ह्रास और फिर गांधीवादी पुनरुत्थान की रही। यह परंपरा गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने का आधार बनी, जो स्वतंत्र भारत में संस्थागत रूप लेने वाली थी। प्राचीन

---

[2] डॉ. महेश्वर दत्त, गांधी का पंचायती राज, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 112–113
[3] सिंह मनोज कुमार, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिकेशन्स हाउस, पृ. 83–84

पंचायतें समावेशी नहीं थीं, महिलाएं और निचली जातियां अक्सर बाहर रहती थीं, लेकिन ये लोकतंत्र की प्रारंभिक अभिव्यक्ति थीं। गांधीजी ने इसे नैतिक और अहिंसक शासन का माध्यम बनाया, जो आधुनिक पंचायती राज की प्रेरणा बना।[4]

**स्वतंत्रता के बाद**

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की संस्थागत यात्रा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) से शुरू हुई, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि इसमें जन भागीदारी की कमी थी। इसकी समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने श्लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरणश की संकल्पना प्रस्तुत की, जो बाद में पंचायती राज के नाम से जानी गई। मुख्य सिफारिशें थीं, तीन–स्तरीय संरचना ग्राम पंचायत (गांव स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद (जिला स्तर) प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर परय विकास योजनाओं का उत्तरदायित्व इन संस्थाओं कोय तथा पर्याप्त संसाधन हस्तांतरण। समिति ने जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की, ताकि समन्वय बना रहे। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इन सिफारिशों को स्वीकार किया। राजस्थान पहला राज्य बना जिसने 2 अक्टूबर 1959 (गांधी जयंती) को नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में इसका उद्घाटन किया और कहा कि यह लोकतंत्र की नींव रखने का ऐतिहासिक क्षण है। नेहरू गांधीजी के ग्राम स्वराज से प्रभावित थे, लेकिन केंद्रीकरण के पक्षधर भी। उद्घाटन गांधी जयंती पर चुनकर प्रतीकात्मक था, गांवों को सशक्त बनाने का संकल्प। इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को दशहरा पर नेहरू ने ही उद्घाटन किया। 1960–61 तक अधिकांश राज्यों में यह व्यवस्था स्थापित हो गई।

हालांकि, 1960–70 के दशक में पंचायती राज कमजोर हुई, अनियमित चुनाव, राजनीतिक हस्तक्षेप और संसाधन अभाव के कारण। बाद की समितियां जैसे अशोक मेहता (1978) ने दो–स्तरीय संरचना और राजनीतिक दलों की भागीदारी सुझाईय जी.वी.के. राव (1985) और एल.एम. सिंहवी (1986) ने संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की। ये प्रयास 73वें संशोधन (1992) में परिणत हुए, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। स्वतंत्रता के बाद की यह यात्रा गांधीजी के सपने को आंशिक रूप से साकार करने की रही, लेकिन वास्तविक विकेंद्रीकरण अभी चुनौती है। नेहरू का नागौर उद्घाटन एक मील का पत्थर था, जो ग्रामीण लोकतंत्र की शुरुआत का प्रतीक बना।

**73वां संशोधन (1992)**

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की यात्रा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।[5] इसकी जड़ें स्वतंत्रता पूर्व गांधीजी के ग्राम स्वराज के विचार में हैं, लेकिन आधुनिक रूप में यह प्रयास 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाने के लिए 64वां संविधान संशोधन बिल 1989 में पेश किया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान था। यह बिल लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में केवल सात वोटों से असफल हो गया। यह असफलता राजनीतिक विपक्ष और कुछ राज्यों के प्रतिरोध के कारण हुई, जो केंद्रीकरण के पक्षधर थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद सत्ता में आई पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने इस विचार को आगे बढ़ाया। सितंबर 1991 में संशोधन बिल पेश किया गया, जिसे विवादास्पद प्रावधानों (जैसे चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका) को संशोधित कर दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से पारित कराया गया। 22 दिसंबर 1992 को यह अधिनियम बना और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं, तीन–स्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) को संवैधानिक मान्यताय नियमित चुनावय राज्य चुनाव आयोगय राज्य वित्त आयोगय तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण।

महिलाओं के लिए कम से कम एक–तिहाई (33%) सीटें और अध्यक्ष पदों का आरक्षण इसकी सबसे क्रांतिकारी विशेषता थी, जो अनुच्छेद 243 डी में निहित है। यह प्रावधान राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988) की सिफारिशों पर आधारित था। इससे पहले पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। यह संशोधन गांधीजी के सर्वोदय और समावेशी लोकतंत्र के सिद्धांत को आधुनिक रूप देता है, लेकिन साथ ही आधुनिक लैंगिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम था। इस संशोधन ने लाखों महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रवेश का द्वार खोला, जो पहले पुरुष–प्रधान क्षेत्र था। यह न केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं को बदलता है। हालांकि, शुरुआती वर्षों में चुनौतियां रहीं, लेकिन यह गांधीजी के ग्राम स्वराज को संस्थागत बनाने का सबसे सफल प्रयास रहा। आज यह विश्व में महिलाओं की स्थानीय राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है।[6]

---

[4] हरीश कुमार खत्री, भारत में पंचायती राज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 12–13
[5] गांधीजी, पंचायत राज, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, पृ. 65–67
[6] रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, कल और आज, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 174–175

### वर्तमान स्थिति

2025 तक पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। पंचायती राज मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (Elected Women Representatives & EWRs) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का करीब 46% है, यह विश्व में सर्वाधिक है। 21 राज्य और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों ने संवैधानिक न्यूनतम 33% की जगह 50% आरक्षण लागू कर दिया है, जिससे यह प्रतिशत बढ़ा है। यह गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने का आंशिक साकार रूप है, जहां महिलाएं गांव की निर्णय प्रक्रिया की केंद्र में हैं। महिलाओं की इस भागीदारी से ग्रामीण विकास योजनाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अध्ययनों (जैसे चट्टोपाध्याय और डुफ्लो, 2004 तथा बाद के अनुवर्ती शोध) से स्पष्ट है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों पर अधिक निवेश करती हैं। उदाहरणस्वरूप, स्वच्छ भारत मिशन में महिला सरपंचों वाले गांवों में शौचालय निर्माण और उपयोग की दर ऊंची रही। जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण और पाइपलाइन योजनाओं में महिलाओं की प्राथमिकता से ग्रामीण महिलाओं का समय बच रहा है, जो पहले पानी लाने में घंटों व्यतीत करती थीं। शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर बढ़ी है, क्योंकि महिलाएं स्कूलों की स्थिति और मिड–डे मील जैसी योजनाओं पर ध्यान देती हैं।

यह बदलाव केवल संख्यात्मक नहीं, गुणात्मक भी है। महिलाएं उन मुद्दों को उठाती हैं जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हैं, जैसे घरेलू हिंसा, पोषण, और स्व–सहायता समूहों का सशक्तिकरण। कई गांवों में महिला पंचायतों ने मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई और कोविड काल में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए। हालांकि, प्रॉक्सी भागीदारी और पितृसत्तात्मक बाधाएं बनी हुई हैं, लेकिन समग्र प्रभाव सकारात्मक है। यह स्थिति दर्शाती है कि आरक्षण ने महिलाओं को मंच दिया है, और वे गांवों को अधिक समावेशी और संवेदनशील बना रही हैं। गांधीजी की नैतिक शक्ति की अवधारणा यहां जीवंत हो रही है, महिलाएं न केवल भागीदार हैं, बल्कि परिवर्तन की संवाहक बन रही हैं। आगे क्षमता निर्माण और संसाधन हस्तांतरण से यह और मजबूत होगा।

### महिलाओं का सशक्तिकरणरू उपलब्धियां

#### राजनीतिक भागीदारी

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में एक अभूतपूर्व क्रांति का प्रतीक बन चुकी है। 73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद, जहां महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया गया, आज 2025 तक यह आंकड़ा और अधिक प्रभावशाली हो गया है। पंचायती राज मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (Elected Women Representatives & EWRs) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का करीब 46% है, यह विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थानीय राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इनमें से लाखों महिलाएं सरपंच, पंचायत सदस्य और अन्य पदों पर निर्वाचित होकर ग्रामीण शासन की दिशा तय कर रही हैं। 21 राज्यों ने आरक्षण को 50% तक बढ़ाया है, जिससे महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि मात्र संख्यात्मक नहीं हैय यह महिलाओं की आवाज को ग्राम सभा में मजबूत करने का माध्यम बनी है। कल्पना कीजिए एक ग्रामीण महिला को, जो पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थी, अब ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हुए देखना यह गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को जीवंत करता है। महिलाएं अब बजट आवंटन, विकास योजनाओं और सामुदायिक मुद्दों पर फैसले ले रही हैं। उदाहरणस्वरूप, कई गांवों में महिलाओं ने ग्राम सभा को अधिक समावेशी बनाया, जहां पहले पुरुष–प्रधान चर्चाएं होती थीं।[7] अध्ययनों से पता चलता है कि महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति से ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी 20–30% बढ़ी है, जिससे मुद्दे जैसे बाल विवाह, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ।

यह सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है। महिलाएं अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं और मतदाताओं को प्रेरित कर रही हैं। हालांकि, प्रारंभिक चुनौतियां जैसे परिवार का विरोध या संसाधन की कमी रहीं, लेकिन लाखों महिलाओं ने इन्हें पार किया। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि 2025 तक 32 लाख से अधिक कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं का 46% हिस्सा न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि आरक्षण ने महिलाओं को मंच दिया, और वे अब ग्राम स्वराज की असली संरक्षक बन रही हैं। आगे, क्षमता निर्माण और समर्थन से यह और गहरा होगा, क्योंकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की कुंजी है।

#### सामाजिक प्रभाव

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का सामाजिक प्रभाव गहरा और बहुआयामी है। अध्ययनों से स्पष्ट है कि महिला सरपंचों वाले गांवों में सार्वजनिक सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होता है। रघबेंद्र चट्टोपाध्याय और एस्थर डुफ्लो का प्रसिद्ध अध्ययन (2004) इसकी नींव रखता है, जो दर्शाता है कि महिला नेतृत्व में पानी, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक निवेश होता है,

---

[7] बासुकी नाथ, चौधरी एवं युवराज कुमार, भारतीय शासन एवं राजनीति, ओरिएण्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 209–210

महिलाओं की प्राथमिकताएं पुरुषों से भिन्न होती हैं। हाल के अध्ययनों (2024–2025) में, जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) की रिपोर्ट, पुष्टि होती है कि महिला सरपंचों वाले गांवों में सार्वजनिक वस्तुओं की डिलीवरी बेहतर है, और महिलाओं के प्रति रूढ़िवाद कमजोर पड़ता है।

कल्पना कीजिए एक ग्रामीण महिला सरपंच को, जो खुद पानी की कमी झेल चुकी है, अब गांव में नल जल योजना को प्राथमिकता देते हुए देखना। ऐसे गांवों में जल संरक्षण और स्वच्छता सेवाएं 15–20% बेहतर होती हैं, जैसा कि आईएसपीपी (2025) की रिपोर्ट में उल्लेखित है। महिलाएं स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस करती हैं, लड़कियों के स्कूल ड्रॉपआउट दर कम होती है, और पोषण कार्यक्रम मजबूत होते हैं। आरएसआई इंटरनेशनल के अध्ययन (2025) में कहा गया है कि पंचायती राज महिलाओं के सशक्तिकरण का उत्प्रेरक है, जो ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाता है। यह प्रभाव सामाजिक मानदंडों को बदलता है। महिला सरपंचों की उपस्थिति से घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा बढ़ी है, और महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। यूएनएफपीए (2025) की रिपोर्ट के अनुसार, 1.4 मिलियन से अधिक महिला सरपंचों ने स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, जो वैश्विक स्तर पर एक मिसाल है। हालांकि, प्रॉक्सी राजनीति जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन सामाजिक प्रभाव सकारात्मक है, महिलाएं अब रोल मॉडल बन रही हैं, जो युवा लड़कियों को प्रेरित करती हैं। समग्र रूप से, यह उपलब्धि गांधीजी के सर्वोदय को साकार करती है, जहां महिलाएं समाज की नैतिक शक्ति हैं। आगे के शोध और नीतियां इस प्रभाव को और बढ़ाएंगी, क्योंकि महिला नेतृत्व ग्रामीण भारत को अधिक समावेशी बनाता है।

### आर्थिक सशक्तिकरण

पंचायती राज में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक ठोस उपलब्धि है, जो मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और अन्य योजनाओं में उनकी सक्रिय भूमिका से स्पष्ट है। 2025 तक, मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कुल कार्यबल का 50% से अधिक है, जैसा कि आईएफपीआरआई की रिपोर्ट में उल्लेखित है। राष्ट्रीय औसत से अधिक, जैसे राजस्थान में 68%, यह दर्शाता है कि महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही हैं। मनरेगा ने महिलाओं को 100 दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान किया, जिससे उनकी आय बढ़ी और आर्थिक स्वतंत्रता मिली। कल्पना कीजिए एक ग्रामीण महिला को, जो पहले घरेलू कार्यों तक सीमित थी, अब मनरेगा साइट पर काम करते हुए देखना, यह न केवल आय देता है, बल्कि कौशल विकास भी करता है।

सीएसईपी (2025) की रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा और दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY&NRLM) ने ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) को 41.7% तक बढ़ाया है। महिलाएं स्व–सहायता समूहों में सक्रिय हैं, जहां वे ऋण प्राप्त कर छोटे उद्यम शुरू करती हैं। पंचायती राज में महिला सरपंचों ने मनरेगा कार्यों को महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप बनाया, जैसे जल संरक्षण परियोजनाएं जो समय बचाती हैं। यह सशक्तिकरण आर्थिक असमानता को कम करता है। एआरएफ इंडिया (2025) के अध्ययन में राजस्थान में मनरेगा की महिला भागीदारी को 27% अधिक राष्ट्रीय औसत से जोड़ा गया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाता है।[8] अन्य योजनाओं जैसे पीएम किसान और जल जीवन मिशन में भी महिलाएं सक्रिय हैं, जहां वे लाभार्थी चयन और निगरानी करती हैं। हालांकि, कुछ अध्ययन (वॉक्सडेव, 2025) में मनरेगा का महिला श्रम बल पर मिश्रित प्रभाव बताया गया, लेकिन समग्र रूप से यह सकारात्मक है, महिलाओं की आय बढ़ी, और वे घरेलू निर्णयों में भागीदार बनीं। यह उपलब्धि गांधीजी के आर्थिक स्वावलंबन को साकार करती है। आगे, डिजिटल साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण से यह और मजबूत होगा, क्योंकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ग्रामीण भारत की समृद्धि की कुंजी है।

### आलोचनात्मक विश्लेषण : समग्र चुनौतियां

पंचायती राज में महिलाओं का सशक्तिकरण मात्र संख्यात्मक नहीं, गुणात्मक होना चाहिए। मुख्य चुनौतियां :–

### <u>आलोचनात्मक विश्लेषण : समग्र चुनौतियां</u>

### 1. प्रॉक्सी भागीदारी (सरपंच पति सिंड्रोम)

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में प्रॉक्सी भागीदारी सबसे गंभीर चुनौती है, जिसे ''सर्पंच पति'' या ''प्रधान पति'' सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रचलित है, जहां निर्वाचित महिला सरपंच या प्रधान नाममात्र की रह जाती हैं, जबकि उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार वास्तविक निर्णय लेते हैं, बैठकें आयोजित करते हैं और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। कल्पना कीजिए एक ग्रामीण महिला को, जो आरक्षण के कारण सरपंच चुनी गई, लेकिन ग्राम सभा में उसकी कुर्सी पर पति बैठता है और फैसले सुनाता है, यह न केवल उसकी गरिमा का हनन है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन की भावना का उल्लंघन भी है, जो महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व प्रदान करने का उद्देश्य रखता था।

---

[8] तपन बिस्वाल, भारतीय राजव्यवस्था और शासन, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद, पृ. 157–158

**2. पितृसत्तात्मक मानसिकता**

पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी की सबसे गहरी बाधा पितृसत्तात्मक मानसिकता है, जो ग्रामीण समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए है। यह महिलाओं को सार्वजनिक मंचों पर बोलने, निर्णय लेने या नेतृत्व करने से रोकती है। पर्दा प्रथा, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव महिलाओं को ग्राम सभा या पंचायत बैठकों से दूर रखते हैं, जहां उन्हें अक्सर तिरस्कार या बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कल्पना कीजिए एक निर्वाचित महिला सरपंच को, जो अपनी राय रखने पर परिवार या समुदाय से दबाव झेलती है, यह गांधीजी के सर्वोदय सिद्धांत से पूर्ण विचलन है, जहां महिलाएं समाज की नैतिक और सामाजिक आधारशिला हैं। 2025 की रिपोर्ट्स, जैसे पंचायती राज मंत्रालय की समिति और ORF के अध्ययन, दर्शाते हैं कि उत्तर भारत में यह मानसिकता अधिक प्रबल है, जहां महिलाएं सार्वजनिक बोलने से हिचकिचाती हैं और प्रॉक्सी पर निर्भर हो जाती हैं। दलित या आदिवासी महिलाओं पर लिंग और जाति का दोहरा भेदभाव पड़ता है, जिससे वे और हाशिए पर चली जाती हैं। सामाजिक रूढ़ियां महिलाओं को ''घर की लक्ष्मी'' तक सीमित रखती हैं, जबकि राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र मानती हैं।

यह मानसिकता गांधीजी की दृष्टि से टकराती है, जहां महिलाओं को अहिंसा और त्याग की प्रतीक मानकर स्वराज में सक्रिय भूमिका दी गई थी। वास्तविकता में, पितृसत्ता महिलाओं की आवाज दबाती है और विकास प्राथमिकताओं को पुरुष–केंद्रित बनाती है। समाधान के लिए ''सशक्त पंचायत नेत्री अभियान'' जैसे जागरूकता कार्यक्रम, कम्युनिटी रेडियो और स्कूलों में लैंगिक संवेदीकरण आवश्यक हैं। साथ ही, महिला सभाओं का आयोजन और रोल मॉडल्स का प्रचार। बिना सामाजिक परिवर्तन के, आरक्षण मात्र प्रतीकात्मक रहेगा। यह चुनौती न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण को बाधित करती है, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र को अपूर्ण बनाती है, गांधीजी के ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए पितृसत्ता को जड़ से चुनौती देना समय की अनिवार्यता है।

**3. क्षमता की कमी**

क्षमता की कमी पंचायती राज में महिलाओं के प्रभावी नेतृत्व की एक प्रमुख बाधा है। अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियां पहली पीढ़ी की नेता होती हैं, जिन्हें शिक्षा, प्रशासनिक ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी के कारण बजट प्रबंधन, योजनाओं का कार्यान्वयन या कानूनी प्रक्रियाओं में कठिनाई होती है। कल्पना कीजिए एक ग्रामीण महिला सरपंच को, जो ई–गवर्नेंस या वित्तीय नियमों को समझने में असमर्थ महसूस करती है, यह गांधीजी के स्वावलंबी ग्राम स्वराज से दूर की स्थिति है, जहां महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की कल्पना की गई थी। 2025 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) और ''सशक्त पंचायत नेत्री अभियान'' जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कवरेज और प्रभाविता अभी अपर्याप्त है। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट्स और NGO अध्ययनों से पता चलता है कि कम साक्षरता, राजनीतिक अनुभव की कमी और डिजिटल साक्षरता का अभाव महिलाओं को प्रॉक्सी पर निर्भर बनाता है। कई महिलाएं पहली बार सार्वजनिक जीवन में आती हैं, जिससे वे आत्मविश्वास की कमी महसूस करती हैं।[9]

यह चुनौती गांधीजी के विचारों से विचलित है, जहां चरखा जैसे माध्यम से महिलाओं को कौशल और स्वावलंबन सिखाया गया था। आज जरूरत है विशेष प्रशिक्षण की नेतृत्व विकास, वित्तीय प्रबंधन, ई–पंचायत और निर्णय प्रक्रिया पर। मंत्रालय के प्रयास जैसे विशेष मॉड्यूल और मेंटरशिप सराहनीय हैं, लेकिन राज्य स्तर पर व्यापक कार्यान्वयन आवश्यक है। क्षमता निर्माण से महिलाएं न केवल प्रतिनिधि बनेंगी, बल्कि मजबूत नेता भी। बिना इसके, सशक्तिकरण अधूरा रहेगा यह ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता की कुंजी है और गांधीजी के सपने को साकार करने का माध्यम।

**4. आरक्षण की रोटेशन प्रणाली**

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की रोटेशन प्रणाली, जो 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हर पांच वर्ष में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में घुमाई जाती है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि आरक्षण का लाभ विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचे और एक ही समूह या परिवार का स्थायी प्रभुत्व न बने। फिर भी, यह प्रणाली महिलाओं के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक कैरियर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। एक कार्यकाल के बाद सीट का आरक्षण समाप्त हो जाने से महिलाएं अपने अनुभव का लाभ नहीं उठा पातीं और अक्सर घरेलू भूमिकाओं में वापस लौट जाती हैं। इससे नेतृत्व कौशल का संचयी विकास बाधित होता है, क्योंकि नई निर्वाचित महिलाओं को हर बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं, निर्णय–निर्माण और ब्यूरोक्रेटिक प्रणाली से परिचित होने में समय लगता है। पुरुष प्रतिनिधियों के विपरीत, जो सामान्य सीटों पर लगातार चुनाव लड़ सकते हैं, महिलाएं आरक्षित सीटों की अनिश्चितता के कारण राजनीतिक स्थिरता नहीं प्राप्त कर पातीं। इससे महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सीमित रह जाती है और वे प्रॉक्सी नेतृत्व की स्थिति में फंस जाती हैं, जहां परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक नियंत्रण रखते हैं।

यह प्रणाली गांधीजी के ग्राम स्वराज के आदर्श से विचलन दर्शाती है, जहां गांवों में स्वायत्त और समावेशी शासन की कल्पना की गई थी। गांधीजी का ग्राम स्वराज व्यक्तियों की निरंतर और वास्तविक भागीदारी पर आधारित था, न कि अस्थायी

[9] डॉ. रूपा मंगलानी, भारतीय शासन एंव राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान पृ. 313–315

आरक्षण पर। रोटेशन से महिलाओं की भागीदारी प्रतीकात्मक बनकर रह जाती है, जबकि ग्राम स्वराज में हर व्यक्ति की दीर्घकालिक सक्रियता और निर्णय–निर्माण में भूमिका अपेक्षित थी। इससे स्थानीय शासन में महिलाओं का संस्थागत सशक्तीकरण नहीं हो पाता और पितृसत्तात्मक संरचनाएं मजबूत रहती हैं। कुछ राज्यों में दो कार्यकालों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है, जो इस समस्या को कुछ हद तक कम करती है, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर रोटेशन की अनिवार्यता महिलाओं को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखती है। अंततः, यह प्रणाली समावेशिता के सिद्धांत को तो अपनाती है, परंतु महिलाओं की वास्तविक नेतृत्व क्षमता के विकास को अवरुद्ध करती है, जिससे ग्राम स्वराज की समावेशी और स्वायत्त गांव की अवधारणा अधर में रह जाती है।

### 5. आर्थिक बाधाएं

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को आर्थिक बाधाएं गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ग्रामीण भारत में महिलाएं सामान्यतः निम्न आर्थिक समूहों से आती हैं, जहां संसाधनों की कमी चुनाव लड़ने और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने दोनों में बाधा बनती है। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन शुल्क, प्रचार सामग्री और मतदाता संपर्क के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो कई महिलाओं के लिए दुर्गम है। राजनीतिक दलों से वित्तीय सहायता की कमी और परिवार की आर्थिक निर्भरता उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवारी से रोकती है। निर्वाचित होने के बाद भी, प्रशासनिक कार्यों जैसे यात्रा, बैठकें और दस्तावेजीकरण के लिए व्यक्तिगत व्यय वहन करना पड़ता है, जबकि पंचायतों के सीमित बजट से पर्याप्त सहायता नहीं मिलती। इससे महिलाएं पुरुष परिवार सदस्यों पर निर्भर हो जाती हैं, जो उनकी स्वायत्तता को कम करता है।

आर्थिक बाधाएं महिलाओं को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण से भी वंचित रखती हैं, क्योंकि इनमें भाग लेने के लिए समय और संसाधन चाहिए। ग्रामीण महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियां आर्थिक स्वतंत्रता को और सीमित करती हैं, जिससे वे पूर्णकालिक राजनीतिक भूमिका नहीं निभा पातीं। कुछ राज्यों में शिक्षा और परिवार नियोजन संबंधी योग्यताएं महिलाओं को और प्रतिबंधित करती हैं, क्योंकि वे शिक्षा और परिवार नियोजन के निर्णयों में कम अधिकार रखती हैं। इससे आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से उन महिलाओं तक सीमित रहता है जो आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से हैं, जबकि गरीब महिलाएं हाशिए पर रह जाती हैं। ये आर्थिक बाधाएं गांधीजी के ग्राम स्वराज से स्पष्ट विचलन हैं, जहां गांव स्वावलंबी और समावेशी होने चाहिए थे। गांधीजी ने आर्थिक स्वतंत्रता को स्वराज का आधार माना था, जिसमें हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हो। वर्तमान प्रणाली में आर्थिक असमानता के कारण महिलाओं की भागीदारी प्रतीकात्मक बन जाती है, जबकि ग्राम स्वराज में आर्थिक बाधाओं से मुक्त वास्तविक निर्णय–निर्माण अपेक्षित था। इससे स्थानीय शासन में महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं हो पाता और पितृसत्तात्मक तथा वर्गीय संरचनाएं बनी रहती हैं। आर्थिक सहायता और क्षमता निर्माण की कमी महिलाओं को प्रभावी नेतृत्व से वंचित रखती है, जिससे ग्राम स्वराज की समावेशी दृष्टि अधूरी रह जाती है।[10]

### 6. जातीय और क्षेत्रीय असमानताएं

पंचायती राज संस्थाओं में दलित और आदिवासी महिलाएं जातीय तथा लिंगीय भेदभाव के दोहरे शिकार होती हैं, जो उनकी प्रभावी भागीदारी को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। दलित महिलाएं ग्रामीण समाज की पदानुक्रमित जाति व्यवस्था में न केवल जातीय अपमान और बहिष्कार का सामना करती हैं, बल्कि लिंग के कारण अतिरिक्त भेदभाव भी सहती हैं। आदिवासी महिलाएं क्षेत्रीय अलगाव, सांस्कृतिक भिन्नता और संसाधनों की कमी से प्रभावित होती हैं। ये महिलाएं अक्सर ऊपरी जातियों के प्रभुत्व वाले वातावरण में काम करती हैं, जहां उनकी राय को अनसुना कर दिया जाता है या उन्हें प्रतीकात्मक भूमिका तक सीमित रखा जाता है। जातीय पूर्वाग्रह उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने से रोकते हैं, और क्षेत्रीय असमानताएं जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी उनकी गतिशीलता को बाधित करती हैं।

दलित और आदिवासी महिलाओं को दोहरा भेदभाव सामाजिक शक्ति संरचनाओं से उत्पन्न होता है, जहां जाति और लिंग का प्रतिच्छेदन उन्हें सबसे हाशिए पर धकेलता है। इससे वे प्रॉक्सी नेतृत्व की स्थिति में फंस जाती हैं या हिंसा और बहिष्कार का शिकार बनती हैं। क्षेत्रीय असमानताएं विकास की कमी से जुड़ी हैं, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और संपर्क की कमी महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को सीमित करती है। आरक्षण के बावजूद, ये असमानताएं वास्तविक सशक्तीकरण नहीं होने देतीं।ये चुनौतियां गांधीजी के ग्राम स्वराज से गहरा विचलन दर्शाती हैं, जहां गांव समावेशी और हर व्यक्ति की समान भागीदारी पर आधारित होने चाहिए थे। गांधीजी ने जाति और लिंग भेदभाव रहित स्वायत्त गांव की कल्पना की थी, जहां निर्णय–निर्माण सभी के लिए खुला हो। वर्तमान में जातीय और क्षेत्रीय असमानताएं महिलाओं की भागीदारी को प्रतीकात्मक बनाती हैं, जबकि ग्राम स्वराज में वास्तविक समावेशिता और समानता अपेक्षित थी। इससे स्थानीय शासन पितृसत्तात्मक और जातिवादी संरचनाओं से प्रभावित रहता है, जो गांधीजी की समावेशी दृष्टि के विपरीत है। दलित और आदिवासी महिलाओं का दोहरा भेदभाव ग्राम स्वराज की आधारभूत भावना को कमजोर करता है, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी।[11]

---

[10] हरीश कुमार खन्नी, भारतीय शासन एंव राजनीति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 65–67

[11] मैथ्यू, जॉर्ज, ''पंचायती राज इन इंडिया फ्रॉम गांधी टू 73र्ड अमेंडमेंट'' कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृ. 85–102

**निष्कर्ष :—**

गांधीजी का ग्राम स्वराज एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना था जिसमें गांव स्वायत्त, स्वावलंबी और पूर्णतः समावेशी हो। इसमें महिलाओं की भूमिका केवल भागीदारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे निर्णय—निर्माण की केंद्रबिंदु में होतीं, क्योंकि गांधीजी मानते थे कि बिना महिलाओं के सशक्तीकरण के सच्चा स्वराज असंभव है। उनके लिए ग्राम स्वराज में लिंग, जाति या आर्थिक स्थिति से परे हर व्यक्ति की गरिमा और सक्रियता आवश्यक थी। महिलाएं घरेलू सीमाओं से बाहर निकलकर गांव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग बनतीं, जहां उनकी आवाज समान महत्व रखती।

पंचायती राज संस्थाओं की यात्रा, विशेषकर 73वीं संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए एक—तिहाई आरक्षण की व्यवस्था, गांधीजी के इस आदर्श की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसने लाखों महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रवेश का अवसर दिया और औपचारिक रूप से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की। फिर भी, यह यात्रा आलोचनात्मक रही है, क्योंकि आरक्षण के बावजूद महिलाओं का सशक्तिकरण प्रतीकात्मक और सीमित बना रहा। रोटेशन प्रणाली ने दीर्घकालिक नेतृत्व के विकास को बाधित किया, आर्थिक बाधाओं ने स्वतंत्रता को कम किया, तथा जातीय—क्षेत्रीय असमानताओं ने दलित और आदिवासी महिलाओं को दोहरे भेदभाव के शिकार बनाया। ये चुनौतियां दर्शाती हैं कि वर्तमान पंचायती राज प्रणाली गांधीजी के ग्राम स्वराज से काफी विचलित हो गई है, जहां भागीदारी अस्थायी या प्रॉक्सी नहीं, बल्कि वास्तविक और निरंतर होती। समग्र चुनौतियां पितृसत्तात्मक संरचनाओं, संसाधनों की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रहों में निहित हैं, जो महिलाओं को प्रभावी निर्णय—निर्माण से दूर रखती हैं। गांधीजी का स्वराज महिलाओं को केवल प्रतिनिधि नहीं, बल्कि परिवर्तन की संवाहक मानता था। आज आवश्यकता है कि आरक्षण को गहन सशक्तिकरण से जोड़ा जाए क्षमता निर्माण, आर्थिक सहायता और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से। केवल तभी पंचायती राज गांधीजी के ग्राम स्वराज के निकट पहुंच सकेगा, जहां महिलाएं न केवल उपस्थित हों, बल्कि गांव के भाग्य की सह—निर्माता बनें। यह यात्रा अभी अधूरी है, किंतु गांधीजी का आदर्श हमें स्मरण कराता है कि सच्चा लोकतंत्र महिलाओं की पूर्ण मुक्ति के बिना संभव नहीं।

**संदर्भ सूची :—**


1. महीपाल, पंचायती राज चुनौतियां एवं संभवानाएं, नेस्नल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 45—46
2. डॉ. महेश्वर दत्त, गांधी का पंचायती राज, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 112—113
3. सिंह मनोज कुमार, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिकेशन्स हाउस, पृ. 83—84
4. हरीश कुमार खत्री, भारत में पंचायती राज, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 12—13
5. गांधीजी, पंचायत राज, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, पृ. 65—67
6. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, कल और आज, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 174—175
7. बासुकी नाथ, चौधरी एवं युवराज कुमार, भारतीय शासन एवं राजनीति, ओरिएण्ट पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 209—210
8. तपन बिस्वाल, भारतीय राजव्यवस्था और शासन, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद, पृ. 157—158
9. डॉ. रूपा मंगलानी, भारतीय शासन एंव राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, राजस्थान पृ. 313—315
10. हरीश कुमार खन्नी, भारतीय शासन एंव राजनीति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पृ. 65—67
11. सिन्हा, ए. के., ''पंचायती राज एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन'' नॉर्दर्न बुक सेंटर, नई दिल्ली, पृ. 67—82
12. मैथ्यू, जॉर्ज, ''पंचायती राज इन इंडिया फ्रॉम गांधी टू 73र्ड अमेंडमेंट'' कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृ. 85—102